श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश कमांक:–पंजी / 11 / 2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2021/325

प्रार्थी महेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह जाति रायसिख निवासी निरवाना तहसील सूरतगढ व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरी माता श्रीमती गुरबचन कौर पुत्री सरदारा सिंह पत्नी रतन सिंह निवासी 3 एनडीआरए तहसील सूरतगढ व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 30.09.2021 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 09.10.2021 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 30.09.2021 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान दर्शन सिंह पुत्र कश्मीर सिंह एवं मलकीत सिंह पुत्र जगतार सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री दिनेश वधवा ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सीलड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

8/12